



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-14/2023

दिनांक- 10 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- निजामाबाद

जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 10.01.2023 को उ0नि0 कुलदीप सिंह हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 0013/23 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित जिला बदर अपराधी अभियुक्त मिर्जा अरबाज बेग पुत्र मिर्जा अरशद बेग निवासी मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ को किशुनपुर के पास से समय करीब 07.30 गिरफ्तार किया गया, जिसको माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट भू राजस्व आजमगढ़ के वाद सं0 339/2022 कम्प्यूटरीकृत बाद स0 D 202215060000339 स्टेट बनाम मिर्जा अरबाज बेग अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में उपरोक्त मिर्जा अरबाज बेग दिनांक 21.11.2022 को जिला बदर किया गया था तथा अभियुक्त को आदेश की एक प्रति तामिल कर नियमानुसार जनपद आजमगढ़ की सीमा से बाहर किया गया था लेकिन अभियुक्त उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश उपरोक्त की अवहेलना की गयी और जनपद सीमा से बाहर करने के उपरान्त भी अभियुक्त अपने घर पर लगातार आ रहा है अभियुक्त द्वारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 मे पारित आदेश का उलंघन किया गया है जो धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 का अपराध है अभियुक्त मिर्जा अरबाज बेग पुत्र मिर्जा अरशद बेग निवासी मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ को कारण बताकर आज बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा माननीय न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0- 0013/23 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मिर्जा अरबाज बेग पुत्र मिर्जा अरशद बेग निवासी मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 180/21 धारा 376/392/506 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 193/22 धारा 279/337/427 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आमजगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

साइबर क्राइम थाना आजमगढ़

लोगो के पैन कार्ड व आधार कार्ड को एडिट कर फर्जी तरीके से लाखों रूपये के लोन लेकर फर्जी बैंक खातों में

ट्रान्सफर कर लोन के रूपये निकालने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

आवेदक सारांश अग्रवाल व रिषभ अग्रवाल निवासीगण पत्थलगांव जिला जशपुर छत्तीसगढ़ ने उच्चाधिकारीगणो को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे की मेरे पैन कार्ड व आधार कार्ड को एडिट कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी फोटो लगाकर हीरा पट्टी आजमगढ़ का पता डालकर फर्जी तरीके से लाखों रूपये के लोन लेकर बैंक खातों में ट्रान्सफर कर लोन के रूपये निकाल लिया

गया है. पैन कार्ड नंबर मेरा होने की वजह से सम्बंधित बैंक लोन का पैसा जमा करने की लिए हमे बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जबकि हमने कोई लोन नहीं लिया है।

उक्त शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ, एवं अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो उक्त प्रार्थना पत्र की जाच से शिवम यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम पकरडीहा थाना अतरौलीया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। कल दिनांक 09-01-2023 को श्री विमल प्रकाश राय, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना व् टीम उपरोक्त जाँच में मामूर थे की जरिये लोकेशन के आधार पर प्रकाश में आये व्यक्ति शिवम यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम पकरडीहा थाना अतरौलीया जनपद आजमगढ़ को अतरौलिया बाजार से गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से अपराध में प्रयुक्त कई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक व् एटीएम कार्ड बरामद किया गया। तत्पश्चात आरोपी को मु०अ०सं० 02/419 धारा 2023,420,467,468, 471IPC व 66C, 66D IT Act में मा० न्यायालय सी०जे०एम० आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

पूछ-तांछ अभियुक्त- अभियुक्त शिवम यादव से उक्त अपराध के सम्बन्ध में पूछ-तांछ की गयी तो बताया की मैं पहले गुड़गाँव में ओपपो मोबाइल फाइनेन्स में काम करता था जहाँ से लोगो का आधार कार्ड व पेन कार्ड की साफ्ट कापी को सेव कर लेता था बाद में उसी पेन कार्ड व आधारकार्ड में फर्जी अपना फोटो एडिट कर लोन लेने का काम करता था. ऐसे ही मैंने सारांश अग्रवाल व ऋषभ अग्रवाल निवासी पत्थलगांव जिला जशपुर छत्तीशगढ़ के नाम की आधार कार्ड व पेन कार्ड को PICSART APP से एडिट कर फर्जी तरीके से अपना फोटो लगाकर बन्धन बैंक आजमगढ़ में खाता खुलवाया था और इसी खाते में सारांश अग्रवाल व ऋषभ अग्रवाल के फर्जी पेन कार्ड पर M पाकेट, IIFL व विभिन्न बैंको से आनलाइन लोन लिया था और लोन का पैसा खाते में आने के बाद एटीएम से खाते में ट्रांसफर करता था और विथड्राल कर लेता था। ऐसे ही मैंने प्रभाजीत व अन्य लोगो का आधारकार्ड व पेन कार्ड से खाता खुलवाया था।

बरामदगी

फर्जी एडिट कर बने हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक व् एटीएम कार्ड

अभियुक्त का विवरण

शिवम यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम पकरडीहा थाना अतरौलीया जनपद आजमगढ़

अभियोग का विवरण

मु०अ०सं० 02/419 धारा 2023,420,467,468, 471IPC व 66C, 66D IT Act साइबर क्राइम थाना आजमगढ़

गिरफ्तारी टीम

निरीक्षक श्री विमल प्रकाश राय, उ०नि० प्रमोद कुमार, मु०आ० मनीष सिंह, का० संजय कुमार, का० सभाजीत मौर्या, का० एजाज खां, - साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र

कहीं किसी ने आपके पैन कार्ड पर भी लोन तो नहीं उठाया है, ऐसे करें ऑनलाइन पता और शिकायत

आजकल PAN Card Loan Fraud की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं. दरअसल, पैन कार्ड उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है, जो बैंक आदि से लोन लेने में काम आता है. इस तरह के फ्रॉड्स में ठग आपके पैन कार्ड पर लोन ले लेंगे और आपको जानकारी भी नहीं होगी. इसलिए अगर आपके पास भी पैन कार्ड है, तो इस तरह के जाल में आप फंस सकते हैं। आइए जानते हैं आप किस तरह से PAN Card के गलत इस्तेमाल को चेक कर सकते हैं।

चेक करें अपना CIBIL स्कोर

1. यह सबसे आसान तरीका है, आप विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CIBIL, Equifax, या CRIF High Mark के जरिए अपना CIBIL स्कोर चेक कर सकते हैं. CIBIL स्कोर चेक करके आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कोई लोन है या नहीं .

- 2- दूसरा तरीका आप Paytm या पॉलिनी बाजार जैसे किसी प्लेटफॉर्म से पता लगा सकते हैं कि आपके पैन कार्ड पर कोई लोन तो नहीं है। यहां से आप अपना प्लेटफॉर्म पर आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करने का ऑप्शन मिलता है CIBIL स्कोर और लोन डिटेल्स आसानी से पा सकते हैं।
- 3- तीसरा तरीका Form 26A चेक करना है यानी आपके PAN Card पर किसी और ने लोन लिया है या नहीं आप Form 26 से चेक कर सकते हैं यह एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, जो इनकम टैक्स विभाग जारी करता है इसमें आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड और दूसरे फाइनेंशियल रॉजेशन की डिटेल्स होती है, जो आपके पैन कार्ड के जरिए होते हैं इस तरह से आप पता सकते हैं कि आपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं लिया है

ऐसे करें ऑनलाइन चेक

- सबसे पहले आपको सिबिल की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.cibil.com> पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको गेट योर सिबिल स्कोर के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपनी जन्मतिथि, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारियों को भर लेना होगा।
- जिसके बाद आपको लॉगिन के लिए पासवर्ड बनाना होगा और साथ ही IT टाइप में इनकम टैक्स ID को सेलेक्ट कर लेना होगा।
- अब आपको अपना पैन नंबर भर लेना है और वेरीफाई योर आइडेंटिटी पर क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपको ईमेल ID या OTP की मदद से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है।
- जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा, इसे आप भर दें।
- फॉर्म भरते ही आपके सामने सिबिल स्कोर खुल जायेगा और आपको ये भी पता चल जायेगा कि आपका इतना लोन चल रहा है।

यदि आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है तो ऐसे करें शिकायत

पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल होने पर आप इसकी शिकायत भी दर्ज (How to report misuse of PAN card) कर सकते हैं। आप इसकी शिकायत IT विभाग को कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट <https://incometax.intelnetglobal.com/pan/pan.asp> में अपनी शिकायत दर्ज करा कर आप की परेशानी दूर हो सकती है। साथ ही सावधानी बरतकर आप अपने पैन कार्ड का दुरुपयोग भी रोक सकते हैं। इसके लिए आपको समयसमय पर अपना सिबिल स्कोर चेक करते रहना चाहिए।-

- मनीष सिंह, साइबर क्राइम थाना आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बिलरियागंज: आज दिनांक- 10.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 178/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू पुत्र सफीक निवासी सहाबुद्दीन थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सरायमीर: आज दिनांक- 10.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 144/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकुमार पुत्र गोपाल सेठ, निवासी शेरवां, थाना सरायमीर, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली: आज दिनांक- 10.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 464/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 समीर पुत्र मुस्तफा निवासी कोट बाज बहादुर,

थाना कोतवाली, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

जनपद पुलिस द्वारा 48 घण्टे का अभियान चलाकर कुल 262 होटलों/ढाबों/मैरेज हाल के संचालकों की सुरक्षा

आडिट किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा चलाये गये विशेष अभियान के अन्तर्गत दिनांक- 07.01.2023 से 08.01.2023 तक जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में स्थित कुल 262 होटलों/ढाबों/मैरेज हाल के संचालकों की सुरक्षा आडिट किया गया।

➡ जिसमें 262 प्रतिष्ठानों में से 173 प्रतिष्ठानों पर चार पहिया वाहनों का पार्किंग स्थल मौजूद है तथा 89 स्थानों पर पार्किंग स्थल नहीं है। सर्वाधिक थाना क्षेत्र अतरौलिया में 13, कोतवाली में 12 व थाना सिधारी में 08 पार्किंग स्थल नहीं है। जिन प्रतिष्ठानों पर पार्किंग स्थल नहीं है, वहां पर सड़कों के किनारे ही वाहन चालकों द्वारा भारी वाहन/ट्रक/बस/आदि खड़ा कर दिया जाता है जिससे रात्रि में कोहरा होने के कारण दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। संचालकों को निर्देशित किया गया कि पार्किंग की व्यवस्था शीघ्र की जाय।

➡ 135 प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुये है तथा 121 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए है, जिनमें सर्वाधिक थाना क्षेत्र बरदह में 17, देवगांव में 15, कंधरापुर में 12 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए है। जिन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के महत्व को समझाते हुए संचालकों को शीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया गया।

➡ 55 प्रतिष्ठानों पर डीवीआर में बैकअप 07 दिन से कम का है, जिनमें सर्वाधिक थाना क्षेत्र कोतवाली में 26 व जीयनपुर में 07 स्थानों पर डीवीआर में बैकअप 07 दिन से कम का है। 80 प्रतिष्ठानों पर डीवीआर में बैकअप 07 दिन से अधिक का है। जिन स्थानों पर डीवीआर में बैकअप कम है उनको कम से कम 01 माह तक का बैकअप रखने वाला डीवीआर लगवाने के लिए अनुरोध/प्रेरित किया गया।

➡ 123 प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की दिशा सड़क की ओर है तथा 11 प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की दिशा सड़क की ओर नहीं है। सर्वाधिक थाना क्षेत्र गम्भीरपुर में 05 व थाना मुबारकपुर में 02 है। जिन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की दिशा सड़क की ओर नहीं है, उन प्रतिष्ठानों पर एक सीसीटीवी कैमरे की दिशा सड़क की ओर लगवाने हेतु प्रेरित/अनुरोध किया गया।